बिहार सरकार

शिक्षा विभाग।

(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सभी हितबद्ध को सूचित किया जाता है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 का प्रारूप तैयार कर Education Department Bihar के विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है। सभी हितबद्ध किसी भी तरह का सुझाव विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के ईमेल आईडी0–directorse.edu@gmail.com पर भेज सकते हैं।

11/10/23

निदेशक, माध्यमिक
शिक्षा।

बिहार सरकार
(शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

ज्ञापन सं. 11/नियमावली 01–02/2023 .... पटना, दिनांक–.....................

बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के "परन्तुक" के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए– बिहार राज्यपाल स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों एवं उन्हें बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही और सेवाशर्त्तें नियमावली, 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय शिक्षकों के बराबर लाने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः– (1) यह नियमावली "बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023" कही जाएगी।**

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएंः–**

   (1) इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरूद्ध कोई बात न हो –

   i. "**सरकार**" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

   ii. "**प्रशासनिक विभाग**" से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग;

   iii. "**नियुक्ति प्राधिकार**" से अभिप्रेत है संबंधित जिले का जिला शिक्षा पदाधिकारी;

   iv. "**अनुशासनिक प्राधिकार**" से अभिप्रेत है संबंधित जिले का जिला शिक्षा पदाधिकारी ;

   v. "**अपीलीय प्राधिकार**" से अभिप्रेत है संबंधित प्रमंडल का क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक ;

   vi. "**विशिष्ट शिक्षक**" से अभिप्रेत हैं, ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अन्तर्गत आते हैं, इनमें पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक शिक्षक भी शामिल हैं;

   vii. "**स्थानीय निकाय**" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अधीन गठित जिला परिषद्, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत जिसमें बिहार

नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अधीन गठित नगर निगम, नगर परिषद् और नगर पंचायत शामिल हैं;

viii. **"स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली, 2020"** से अभिप्रेत है "बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2020", "बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2020", "बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020" तथा "बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020";

ix. **"प्रशिक्षित विशिष्ट शिक्षक"** से अभिप्रेत है विशिष्ट शिक्षक जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा इस तरह घोषित किया गया है;

(2) ऐसी कोई परिभाषा जो इस नियमावली में वर्णित न हो, बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के नियम 2 में दी गई परिभाषाओं से परिभाषित होगी;

3. **संवर्ग का गठन :–** (1) स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों (पंचायतीराज/नगर निकाय) द्वारा नियुक्त सभी शिक्षक अब "विशिष्ट शिक्षक" कहलाएंगे। वे इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएंगे, बशर्ते की वे विभाग द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। वे एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे जिनकी सेवाशर्तों को अब से इस नियमावली द्वारा विनियमित किया जाएगा।

परन्तु इन अध्यापकों के विरुद्ध आज की तिथि तक लंबित कोई अनुशासनिक कार्रवाई, सतर्कता जाँच या कोई अन्य अन्वेषण इस नयी नियमावली के उपबंधों के अनुसार जारी रहेगा।

(2) जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है या त्याग पत्र दे देता है या बर्खास्त कर दिया जाता है, तो परिणामी रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा परिणामी रिक्ति का नियत प्रतिशत विशिष्ट शिक्षक के प्रोन्नति हेतु एवं शेष को विद्यालय अध्यापक का संवर्ग जो "बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति,

स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023" के तहत नियुक्त है, स्थानान्तरित करने हेतु सक्षम होगा।

4. **सक्षमता परीक्षा :–** विभाग अपने द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से इन सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से एक वर्ष के अवधि में आयोजित की जायेगी। प्रत्येक शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु तीन अवसर प्रदान किया जायेगा। वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास/अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहेंगे, उन्हें सेवा से हटा दिया जायेगा।

5. **इस नियमावली के तहत सीधी भर्ती :–** इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी।

परन्तु ऐसा व्यक्ति जो इस नियम के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए हैं, उन्हें बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के तहत नियुक्त किया गया माना जाएगा तथा उनकी सेवाशर्तें उक्त नियमावली द्वारा नियंत्रित होगी।

परन्तु अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, विभाग की प्रचलित नीति, पात्रता एवं रिक्ति के अनुसार की जाएगी।

6. **आरक्षण :–** स्थानीय निकाय द्वारा स्थानीय निकाय नियमावली, 2020 के तहत नियुक्त विशिष्ट शिक्षक उसी आरक्षण श्रेणी से सम्बद्ध रहेंगे जिसके लिए उन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया था।

7. **वरीयता :–**

7.1 जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी।

7.2 विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी:–

क. स्थानीय निकायों के शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षत वेतनमान प्राप्त करने की तिथि।

ख. जहां दो शिक्षक उपर्युक्त मानदंड (क) के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मानदंड होगी।

ग. जहां दो शिक्षक उपर्युक्त मानदंड (ख) के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में शिक्षक का नाम, वरीयता तय करेगा।

घ. उपयुक्त मानदंडों में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) द्वारा किया जाएगा।

8. **वेतनः–**

8.1 विशिष्ट शिक्षक, स्थानीय निकाय नियमावली, 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन का सुरक्षा (पे–प्रोटेक्सन) प्राप्त करेंगे।

8.2 इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर, उनका वेतन और अन्य भत्ते नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगे :–

क्र० सं०	**विशिष्ट शिक्षकों की श्रेणी**	**मूल वेतन (रूपये में)**
1.	कक्षा I से V तक के विशिष्ट शिक्षक (मध्य विद्यालय के शारीरिक शिक्षकों सहित)	25000
2.	कक्षा VI से VIII तक के विशिष्ट शिक्षक	28000
3.	कक्षा IX से X तक के विशिष्ट शिक्षक (माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष सहित)	31000
4.	कक्षा XI से XII तक के विशिष्ट शिक्षक	32000

8.3 अन्य भत्तों में राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता शामिल है।

8.4 विभाग अपनी नीति को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर विशिष्ट शिक्षकों के उपरोक्त वेतन और भत्तों को संशोधित कर सकता है।

8.5 फिटमेंट मैट्रिक्स **अनुलग्नक 'क'** के अनुसार होगा। फिटमेंट मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित करता है।

9. **प्रोन्नति :–**

9.1 विशिष्ट शिक्षक निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे :–

क्र० सं०	**विशिष्ट शिक्षकों की श्रेणी**	**प्रोन्नति के लिए विशिष्ट शिक्षकों की अगली श्रेणी**	**प्रोन्नति के लिए समय अवधि**	**अभ्युक्तियाँ**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	कक्षा I से V तक के विशिष्ट शिक्षक	कक्षा VI से VIII तक के विशिष्ट शिक्षक	08 वर्ष	उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार
2.	कक्षा VI से VIII तक के विशिष्ट शिक्षक	कक्षा VI से VIII तक के वरीय विशिष्ट शिक्षक	08 वर्ष	उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार स्वस्थान प्रोन्नति
3.	कक्षा IX से X तक के विशिष्ट शिक्षक	कक्षा IX से XII तक के विशिष्ट शिक्षक	08 वर्ष	उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार
4.	कक्षा XI से XII तक के विशिष्ट शिक्षक	कक्षा XI से XII तक के वरीय विशिष्ट शिक्षक	08 वर्ष	उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार स्वस्थान प्रोन्नति

9.2 अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा, सभी प्रोन्नति, विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी।

9.3 प्रधान शिक्षक (कक्षा I से V) तथा प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर संबंधित नियमावली के अनुसार की जाएगी।

10. **स्थानांतरण :–**

10.1 विशिष्ट शिक्षक स्थानांतरणीय होगा।

10.2 विशिष्ट शिक्षकों को सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र–शिक्षक अनुपात अथवा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अन्तर्गत स्थानांतरित किया जाएगा।

10.3 विशिष्ट शिक्षकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा तय की गई अवधि के पूरा होने पर जिला के अन्तर्गत स्थानांतरित किया जाएगा।

10.4 विशिष्ट शिक्षकों को उनके अनुरोध पर निदेशक (प्राथमिक) या निदेशक (माध्यमिक) जैसा भी मामला हो, द्वारा जिला के बाहर स्थानांतरित किया जा सकेगा। हालांकि, एक विशिष्ट शिक्षक सेवाकाल में केवल दो बार इस तरह के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा। इस सुविधा का, अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और प्रशासनिक विभाग अत्यावश्यकताओं के आधार पर इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। इस तरह के स्थानान्तरण के मामले, संबंधित शिक्षक को सुसंगत नियुक्ति वर्ष की पदक्रम (ग्रेडेशन) सूची के नीचे रखा जाएगा।

10.5 ऊपर किसी बात के होते हुए भी, एक विशिष्ट शिक्षक को प्रशासनिक आधार पर या शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र–शिक्षक अनुपात के तहत प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए, निदेशक (प्राथमिक) या निदेशक (माध्यमिक) द्वारा सार्वजनिक हित में, जैसा भी मामला हो, जिले के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे मामले में, संबंधित शिक्षक की वरीयता नियम 7 के अनुसार फिर से तैयार की जाएगी।

11. **अनुशासनिक कार्रवाई :–**

11.1 विशिष्ट शिक्षक कार्य या लोप के विभिन्न कृत्यों के लिए ऐसे अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन होंगे, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विनिश्चित किए जायें।

11.2 विशेष रूप से, जिला शिक्षा पदाधिकारी निम्नलिखित मामलों में एक विशिष्ट शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम होगा :–

क. कार्य से अनधिकृत अनुपस्थिति;

ख. जानबूझकर अवज्ञा और अनुशासनहीनता;

ग. विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में योगदान न देना;

घ. वित्तीय अनियमितता के मामले;

ङ. सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव;

च. किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना;

छ. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन;

ज. कोई अन्य मामला जिस पर अनुशासनात्मक प्राधिकार विचार करे;

11.3 **समझा गया निलंबन** :– कोई भी विशिष्ट शिक्षक जो 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक/पुलिस/सिविल अभिरक्षा में रहा है, उसे निलंबित समझा जाएगा और अनुशासनिक प्राधिकार ऐसा आदेश जारी करेगा।

11.4 अनुशासनिक प्राधिकार, अपचारी शिक्षक पर निम्नलिखित दंड अधिरोपित कर सकेगा

क. **वृहद् दंड–**

i. बर्खास्तगी
ii. अनिवार्य सेवानिवृत्ति
iii. निचले पद पर पदावनति
iv. कम वेतनमान में पदावनति
v. संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि (वेतन वृद्धियों) को रोकना

ख. **लघु दंड–**

i. निन्दन
ii. निर्धारित विधि से निर्दिष्ट दिनों के लिए सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थिति दर्ज किया जाना आवश्यक होगा
iii. वेतन से कटौती के माध्यम से वित्तीय जुर्माना लगाना जो 15 दिनों से अधिक न हो
iv. गैर–संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि (वेतन वृद्धियों) को रोकना
v. प्रोन्नति रोकना

11.5 **विभागीय कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया :–** अनुशासनिक प्राधिकार, दोषी शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट प्राप्त करने पर यह तय करेगा कि क्या रिपोर्ट के आधार पर, वृहद् दंड या लघु दंड का प्रथमदृष्टया मामला बनता है। इस प्रयोजन के लिए, अनुशासनिक प्राधिकार दोषी शिक्षक से 7 दिन का समय देते हुए एक कारण बताओ पूछ सकता है कि उसके विरूद्ध वृहद्/लघु दंड अधिरोपित करने के लिए, जैसा भी मामला हो, कार्यवाही क्यों नहीं प्रारंभ की जाय। उत्तर प्राप्त होने के बाद अनुशासनिक प्राधिकार यह तय करेगा कि वृहद् दंड कार्रवाई या लघु दंड कार्रवाई के लिए आगे बढ़ना है या मामले को बंद करना है। यदि दोषी शिक्षक ऐसी दो सूचनाओं का उत्तर नहीं देता है, तो अनुशासनिक प्राधिकार मामले को एकपक्षीय रूप से तय करने के लिए सक्षम होगा। यदि अनुशासनिक प्राधिकार वृहद् या लघु दंड के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने का विकल्प चुनता है तो इन नियमों में उल्लिखित आगे की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

11.5.1 **निलंबन :–** उपर्युक्त आधारों पर अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करते समय, अनुशासनिक प्राधिकार शिक्षकों को निलंबन पर रख सकता है। परंतु अनुशासनिक प्राधिकार दोषी शिक्षक का निलंबन के अधीन रखने से पूर्व, कारण बताओ पूछेगा। निलंबन की अवधि के दौरान, उक्त शिक्षक मूल वेतन और मंहगाई भत्ते के 50% के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता का हकदार होगा।

11.6 **वृहद् दंड अधिरोपित करने की प्रक्रिया :–**

11.6.1 जब भी अनुशासनिक प्राधिकार के पास यह विश्वास करने का आधार हो कि विशिष्ट शिक्षक ने इस नियमावली में वृहित किसी नियम के विरूद्ध कोई कार्य किया है अथवा नियमानुसार कार्य नहीं किया है तो वह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या किसी अन्य नियोक्ता से दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के साथ एक मसौदा अरोप–पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। इसके बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकार एक जाँच पदाधिकारी नियुक्त करेगा जो अनुशासनात्मक कार्यवाही का संचालन करेगा। जाँच पदाधिकारी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा और दोषी शिक्षक को अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। जाँच पदाधिकारी ऐसे कागजात/दस्तावेज भी उपलब्ध कराएगा जो कार्यालय के पास उपलब्ध हो।

जाँच पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही दो महीने के भीतर पूरी कर लेगा। यदि दोषी शिक्षक दो तिथियों पर जाँच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो जाँच पदाधिकारी, उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, एकपक्षीय आदेश पारित करने के लिए सक्षम होगा।

11.6.2 विभागीय कार्यवाही पूरी होने के बाद जाँच पदाधिकारी एक तर्कसंगत आदेश पारित करेगा और उसे आगे की कार्रवाई के लिए अनुशासनिक प्राधिकार को भेजेगा।

11.6.3 अनुशासनिक प्राधिकार अपने पास उपलब्ध पदाधिकारियों में से एक जाँच पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगा या जिला मजिस्ट्रेट से जिले में उपलब्ध पदाधिकारियों से इसे नियुक्त करने का अनुरोध कर सकेगा।

11.6.4 अनुशासनिक प्राधिकार जाँच प्राधिकार के समक्ष विभाग के मामले को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्तुतकर्त्ता पदाधिकारी भी नियुक्त करेगा। ऐसा प्रस्तुतकर्त्ता पदाधिकारी विभाग के प्रखंड स्तर के कर्मचारियों में से हो सकता है। वैकल्पिक रूप से, वह जिला दण्डाधिकारी से अन्य विभागों के प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों से प्रस्तुतकर्त्ता पदाधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध कर सकेगा।

11.7 **लघु दंड अधिरोपित करने की प्रक्रिया** :– जहां अनुशासनिक प्राधिकार की राय में, मामला मामूली दंड अधिरोपित करने के लिए उपयुक्त है, वहां वह दोषी शिक्षक को पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय देते हुए कारण बताओ पूछेगा कि क्यों नहीं उस पर विशेष लघु दंड अधिरोपित किया जाए। दोषी शिक्षक से उत्तर प्राप्त होने पर, अनुशासनिक प्राधिकार उस विशेष लघु दंड को अधिरोपित कर सकेगा।

11.8 **काम नहीं वेतन नहीं नियम** :– जहां जिले के किसी पदाधिकारी या प्राधिकार द्वारा निरीक्षण करने पर, विद्यालय का कोई शिक्षक या कर्मचारी उचित अनुमोदन के बिना अनुपस्थित पाया जाता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके लिए सक्षम होगा कि वह ऐसे अनुपस्थित के वेतन को तुरंत रोक दे। इसके बाद, 7 दिनों का समय देकर अनुपस्थित से कारण बताओ पूछा जाएगा और यदि उत्तर संतोषजनक नहीं होता है, तो अनुपस्थिति की अवधि के लिए अनुपस्थित के वेतन की कटौती की जाएगी।

12. **अपील** :– अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित कोई भी आदेश, आदेश पारित करने के 15 दिनों के भीतर क्षेत्रीय उप निदेशक के समक्ष अपील योग्य होगा। क्षेत्रीय उप निदेशक 30

दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा। परन्तु क्षेत्रीय उप निदेशक आदेश पारित करने से पहले अपीलकर्त्ता की सुनवाई करेगा।

13. **पुनरीक्षण** :– क्षेत्रीय उप निदेशक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध एक पुनरीक्षण, प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष होगा। पुनरीक्षण, अपील के निपटान के 30 दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए और प्रमंडलीय आयुक्त 60 दिनों के अन्दर इसका निपटान करेंगे।

14. **निरसन और व्यावृत्तिः**–

14.1 "बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020", "बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020", "बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020", और "बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020", इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं। इस तरह के निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमावली के तहत किया गया कुछ भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई प्रवृत्त बनी रहेगी मानो कि उक्त नियमावली को निरसित नहीं किया गया है।

14.2 बिहार राज्य शैक्षिक संस्थागत शिक्षक और कर्मचारी (शिकायत निवारण और अपील) नियमावली, 2020 के तहत गठित जिला/राज्य अपीलीय प्राधिकार लंबित वादों/मामलों का इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 6 माह के अन्दर निष्पादन कर लेंगे। इसके अतिरिक्त इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से जिला/राज्य अपीलीय प्राधिकार कोई भी नया वाद स्वीकार नहीं करेंगे।

15. **कठिनाई दूर करने की शक्ति** :– प्रशासी विभाग को इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट करने और अधिसूचनाओं और दिशानिर्देशों के माध्यम से इसके कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने की शक्ति होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(के0के0 पाठक)
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक :–11/नियमावली 01–02/2023 .... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि:–मुख्य सचिव, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव, बिहार/सभी सचिव, बिहार/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग /सभी निदेशक, पंचायतीराज विभाग/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, पंचायतीराज विभाग के आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी उप विकास आयुक्त/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी (जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय)/सभी जिला पंचायतीराज पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–11/नियमावली 01–02/2023 .... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि:–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी 3000 (तीन हजार) प्रतियाँ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार को उपलब्ध करायी जाए।

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–11/नियमावली 01–02/2023 .... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि:–आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर उक्त नियमावली की प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।

उपाबंध– क

फिटमेंट मैट्रिक्स तालिका						
पार्श्व प्रविष्ट शिक्षकों की श्रेणी	I-V	VI-VIII	वरीय VI-VIII	IX-X	XI-XIII	वरीय XI-XII
1	2	3	4	5	6	7
प्रविष्टि भुगतान	25000	28000	30000	31000	32000	34000
2	25750	28840	30900	31930	32960	35020
3	26250	29700	31830	32890	33950	36070
4	27320	30600	32780	33870	34970	37150
5	28140	31510	33760	34890	36020	38270
6	28980	32460	34770	35940	37100	39410
7	29850	33430	35810	37020	38210	40600
8	30750	34440	36880	38130	39360	41820
9	31670	35470	37990	39270	40540	43070
10	32620	36530	39130	40450	41750	44360
11	33600	37630	40300	41660	43000	45690
12	34610	38760	41510	42910	44290	47060
13	35640	39920	42750	44200	45620	48480
14	36710	41120	44030	45520	46990	49930
15	37810	42350	45350	46890	48400	51430
16	38940	43620	46710	48300	49850	52970
17	40110	44930	48110	49750	51350	54560
18	41320	46280	49550	51240	52890	56200
19	42550	47660	51045	52770	54470	57880
20	43830	49090	52570	54360	56110	59620